



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखण्ड)

E-mail :- cfte.ranchi@gmail.com & cf-ranchi@gov.in Phone & Fax - 0651 - 2481814 (O)

पत्रांक:- 317

दिनांक:- 02/03/2021

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

विषय:-

मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 के०भी० डी०/सी० पतरातू से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 169.0098 हे० (लातेहार वन प्रमण्डल-103.681 हे०, रामगढ़ वन प्रमण्डल-7.9685 हे० एवं राँची वन प्रमण्डल-57.3603 हे०) वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 32 दिनांक 05.01.2021 तथा भवदीय कार्यालय के ज्ञापांक 60 दिनांक 06.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के प्रसंग में सूचित करना है कि विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छित 10 बिन्दुओं का वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची द्वारा बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। बिन्दु संख्या-I, II, III, V, VI, VIII एवं IX, जो राँची वन प्रमण्डल, राँची से संबंधित है, का वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची द्वारा निराकरण किया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची ने शर्त संख्या-VI एवं IX के संदर्भ में क्रमशः उपयुक्तता प्रमाण पत्र तथा ग्रामसभा की कार्यवाही की प्रतियाँ भेजी है।

अतः उपरोक्त संदर्भ में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची के पत्रांक 598 दिनांक 17.02.2021 की छाया प्रति तथा निराकरण प्रतिवेदन छः प्रतियों में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संलग्न समर्पित किया जाता है।

अनु०:यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, राँची।

57C

12-
19/2